

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के 1.) सुमंती देवी पति- टेकलाल गंडू, 2.) सरस्वती कुमारी पति- मुकेश सिंह, 3.) सिनू देवी पिता- स्व० झरी सिंह एवं 4.) पंकज कुमार भोगता पिता- स्व० झरी सिंह ग्राम- तापिन, थाना- माण्डू, जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- दुरुकसमार, थाना सं० 113 (रैयती भूमि) खाता सं० 1/60 के अधीन प्लॉट सं०-70(गैर-मजूरवा खास), 90/1412(गैर-मजूरवा जंगल-झाड़); खाता सं० 1, (गैर-मजूरवा जंगल-झाड़), के अधीन प्लॉट सं०- 90/1411, 90/1415, 90/1575 & 90/2187; कुल रकबा -08.00 एकड़ (गैर-मजूरवा खास एवं जंगल-झाड़ भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (हजारीबाग क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उपरोक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Sufyan  
24/1/24

MT CD